न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 7/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1रामेश्वर पुत्र पूनाराम लटियाल निवासी–101 रेलवे फाटक के पास, मेडतारोड। फर्म–लटियाल किराणा स्टोर, 101 रेलवे फाटक के पास, मेडतारोड। 2पंकज गटाणी पुत्र पुरूषोत्तम निवासी सेवगो का मौहल्ला, मेडतासिटी। फर्म–श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी, पडाव बाजार मस्जिद के नीचे मेडतासिटी।

आदेश

दिनांक : 22.11.17

1. शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 5-04-2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

2(1). प्रार्थी दिनांक 20-05-2015 को दोपहर 02-00 बजे (PM) गश्त चैंकिंग के दौरान बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी मेडतारोड स्थित लटियाल किराणा स्टोर पर पंहुचा। वहां पर विक्रेता की हैसियत से रामेश्वर मौजूद था। प्रार्थी ने अपना परिचय दिया, परिचय लिया, परिचय पत्र दिखाया।

2(2). यह कि आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ चाय पत्ती (माहेश्वरी ब्राण्ड) 500 ग्राम पॉली पैक में सीलबंद अवस्था में 20–25 पैकेट रखे हुए थे। निरीक्षण के दौरान मिलावट का शक होने पर इसकी जांच FSSA के तहत कराने के लिए 2 किग्रा (500 gm x 4) खाद्य पदार्थ चाय पत्ती (माहेश्वरी ब्राण्ड) खरीदने की इच्छा जाहिर की एवं विक्रेता को प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। दूसरे प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया कि यह नमूना वह वास्ते जांच FSSA Act के तहत खरीद रहा है। मौके पर विक्रेता ने बताया कि वह न तो उक्त माल का उत्पादक है और न ही पैंकिंग कर्ता। उक्त खाद्य पदार्थ मै. श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी, मेडतासिटी से खरीदा गया है। मौके पर फार्म 5ए द्वारा फर्म श्री राम ट्रेडिंग कम्पनी को सूचना दी गई। विक्रेता को रूपए 400/– चार सौ रू. मात्र नगद देकर खाद्य पदार्थ खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी व विक्रेता ने हस्ताक्षर किए।

2(3). यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से खरीद की गई चाय पत्ती माहेश्वरी ब्राण्ड को मूल सीलबंद अवस्था में गते के अलग अलग चार डब्बो में पेक कर लेबल लगाकर आउटर कवर में मजबूत मोटे खाकी कागज से किया एवं चारों भागों को अलग अलग नियमानुसार पेपर स्लिप जिस पर डीओ कोड व सीरीयल नंबर क्यू–758 नाम व पता वस्तु का नाम नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। प्रार्थी, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज क्यू–758 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी, नागौर की नियमानुसार प्रत्येक नमूने की बोतलों पर सिर से होते हुए नीचे पैंदों तक नमूनों को अलग अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गॉठ लगाई। प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार चार सील चपडी की लगाई एक नमूने के सिर पर एक पेंदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ लगाई एवं चारों नमूनों पर प्रार्थी ने हस्ताक्षर किए व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाए। गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबंद अवस्था में प्रार्थी ने अपने कब्जे में किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में प्रार्थी ने व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी व विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई।

2(4).यह है कि क्यू–758 नमूने के एक सीलबंद भाग को फार्म नम्बर 6 की प्रति को सील बंद लिफाफे में उम्मेद सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नागौर के साथ दिनांक 21-05-15 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

2(5). यह है कि क्यू–758 के नमूने के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग फार्म नम्बर कर तीन प्रतियों के साथ जिस पर वही सील अंकित की जिसके द्वारा क्यू–758 नमूना सील बंद कर प्रार्थी ने अभिहित अधिकारी, नागौर को दिनांक 21-05-2015 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

2(6).यह है कि आवेदक को अभिहित अधिकारी, नागौर के द्वारा जांच रिपोर्ट एल.एस/410/एक्ट /2015/430 दिनांक 22-06-2015 दी गई। जिससे मालूम हुआ कि लिया गया नमूना क्यू–758 खाद्य पदार्थ चाय पत्ती (माहेश्वरी ब्राण्ड) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने कारण मिस ब्राण्ड (Mis brand) पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 08-02-2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री दिनेश हेडा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 25.01.17 को अपने जवाब पेश किये।

3(1) अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में बताया कि–

3(1)(i) विक्रेता से खरीद की गई चाय पती को मूल सील बंद अवस्था में गते के अलग अलग नियमानुसार पेपर स्लिप जिस पर डीओ कोड व सीरीयल नं. क्यू 58 नाम व पता वस्तु का नाम नमूना लेने का स्थान अंकित करने, प्रार्थी व गवाह के द्वारा हस्ताक्षर करने व विक्रेता द्वारा लेबल पर हस्ताक्षर करने, चारो नमूना को अलग अलग भूरे कागज क्यू 58 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी नागौर को नियमानुसार प्रत्येक नमूने की बोतलों पर सिरे से होते हुए नीचे पेदों तक अलग अलग मोटे मजबूत धागो से बांधने, धागे की गांठ लगाने, प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार चार सील चपडी की लगाने, विक्रेता के आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाने, गवाह के हस्ताक्षर करवाने, और सीलबंद नमूनो को अपने कब्जे मे लेने के तथ्य सर्वथा गलत है। एसी कोई कार्यवाही अभियुक्त के समक्ष उसके प्रतिष्ठान पर नही की गई है। संपूर्ण कार्यवाही अपनी मनमर्जी व कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है।

3(1)(ii) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बतायी जा रही उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व इसके तहत बने नियमों व आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमाने गलत व अवैधानिक होने से इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

3(1)(iii) अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान पर दिनांक 20.5.15 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा कोई चाय पती का नमूना नही लिया गया था। आवेदक के द्वारा जो भी कार्यवाही की गई वो समस्त कार्यवाही अप्रार्थी सं. 1 को बिना बताये और अपने आपको अधिकारी होना बताकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाते थे और यह कहा गया था कि यहां आने की औपचारिकताये है। इसलिये हस्ताक्षर करने है। इसके अलावा अप्रार्थी सं. 1 के यहां से चाय पती का नमूना नही लिया था और न ही अन्य कार्यवाही वहां पर मौके पर की थी।

3(1)(iv) अभियुक्त के परिसर पर यदि इस प्रकार की नमूना लेने की कार्यवाही की जाती तो निश्चित रूप से इसके लिये लिखित में सूचना दी जाती और विधिवत रूप से नमूना लेने की कार्यवाही की जाती तथा मौके पर से ही स्थानीय व स्वतंत्र गवाहों को बुलाकर उनके सामने कार्यवाही की जाती परंतु हस्तगत प्रकरण में कोई नमूना लेने की कार्यवाही नही हुई। जिससे स्थानीय व स्वतंत्र गवाहान को बुलाया नही गया और न ही इसके लिये कोई प्रक्रिया की गई। जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4.1 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जिससे नमूना लेने की बतायी जा रही कार्यवाही विधिविरूद्व होने से खारिज होने योग्य है।

3(1)(v) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4.4 के आज्ञापक प्रावधानों के तहत खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा उत्पाद को विनिर्माता, वितरक या प्रदायकर्ता से अभिप्राप्त करने की स्थिति में ऐसे विनिर्माता, वितरक और प्रदायकर्ता को भी एक सूचना दी जाना विहित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में आवेदक द्वारा लिये गये तथ्यों अनुसार जिस माहेश्वरी ब्राण्ड की चाय पती का नमूना लिया जाना बताया जा रहा है वो श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी मेडतासिटी के द्वारा पेकिंग किया जाना बताये जाने से इसकी सूचना अप्रार्थी सं. 2

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

का दी जाना आज्ञापक था, परंतु ऐसी कोई सूचना नही दी गयी और न ही दी जाना बताया है। जिससे भी नमूना लेने की कार्यवाही इस आधार पर अवैधानिक है।

3(1)(vi) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4.7 के आज्ञापक प्रावधानों में वस्तु का नमूना बोतल या मर्तबान या अन्य उपयुक्त आधानों में लिया जाना विहित किया है, परंतु आवेदक के आवेदन में शुष्क बोतल का होना ही अंकित नही किया है। जिससे भी संपूर्ण नमूना लेने की कार्यवाही इस आधार मात्र से ही अवैधानिक हो जाती है। इसके अलावा स्वयं आवेदक ने चाय पती का नमूने को गते के अलग अलग डिब्बों में डालकर खाकी कागज से नियमानुसार पेपर स्लिप से सील करना बताया गया है। ऐसी कार्यवाही पूर्णतया मनगढन्त होने से खारिज होने योग्य है।

3(1)(vii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4.9 के आज्ञापक प्रावधानों में बोतल के ऊपर ढके गये कागज को मजबूत सुतली या धागे द्वारा ऊपर से नीचे तक और आर पार बांधने तत्पश्चात सुतली या धागे को कागज की पर्ची पर सील करने की वेक्स द्वारा जकडने और उस पर प्रेषक की मुद्रा की सुभिन्न और स्पष्ट छाप होना विहित किया गया है। इसके अलावा एक छाप पेकेट के ऊपर व एक नीचे होने तथा दो अन्य छाप मुख्य भाग पर होने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सुतली या धागे की गांठो को सील करने की वेक्स से ढकने और प्रेषक की छाप होने का प्रावधान भी किया गया है। परंतु हस्तगत प्रकरण में ऐसे प्रावधानों की पालना नही की गई है।

3(1)(viii) हस्तगत प्रकरण में जिस प्रकार से नमूना भेजा गया है। वो प्रक्रिया पूर्णतया नियम विरूद्व व अवैध है। इसके अलावा फार्म नं. 6 मे भी नमूना भेजने का कोई स्रोत का हवाला नही दिया गया है। जिससे स्पष्ट हो कि उक्त नमूना किस साधन द्वारा भेजा गया था। जिससे भी कार्यवाही इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

3(1)(ix) खाद्य विश्लेषक जोधपुर की रिपोर्ट पूर्णतया एकपक्षीय, मनमानी व विभागीय मिलावट के आधार पर तैयार की गयी है। जिसका कोई विधिक महत्व नही है। द्वितीय में इस रिपोर्ट में चाय पती के लिये तय किये गये मानको यथा Total ash, Water soluble ash of the total ash, acid-insoluble ash, water extracts, crude fiber, mould rodent contamation living and dead insect, added coloring matter में से उक्त चाय अमानक स्तर की नही पायी गयी है तो ऐसी स्थिति में उक्त चाय मिथ्या छाप/मिसब्राण्डेड की होने का जो आरोप लगाकर कार्यवाही संस्थित की गई है वो पूर्णतया गलत अनुचित व अवैध होने से खारिज होने योग्य है।

3(1)(x) उक्त प्रकरण मे खाद्य विश्लेषक जोधपुर के द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट की टेबल में बताये गये घटक नमूना लिये गये पॉम ऑयल में पाये गये थे। जिससे स्पष्ट है कि तथाकथित नमूना किसी भी प्रकार से अमानक स्तर का नही था। परंतु केवल मात्र बेच नं. और निर्माण तिथि/पेकिंग तिथि का लेबल नही लगाये जाने के आधार मात्र पर ही उक्त मामला धारा 3 (1) (zf) (c) (i) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मिसब्राण्डेड होने का कथन किया गया है। जबकि उपरोक्त बेच नं., निर्माण तिथि/पेकिंग तिथि का लेबल लगाने का कार्य व उतरदायित्व चाय पती की पेकिंगकर्ता फर्म का था। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा ऐसा कोई कृत्य, उल्लघंन आदि नही किया गया है। जिसके कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लघंन किया गया हो।

3(1)(xi) आवेदक के द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन के आवेदन में यह कही पर भी खुलासा नही किया गया है कि उसके द्वारा लिये गये नमूना किस प्रकार मिसब्राण्डेड की श्रेणी में आता है। क्योकि उक्त आवेदन व दस्तावेजात से अभियुक्त सं. 1 के खिलाफ कोई मामला बनना नही पाया जाता है। बल्कि संपूर्ण कार्यवाही केवल मात्र मामले को बनाने के उद्देश्य से कार्यालय में बैठकर तैयार की गयी है। जिससे आवेदन खारिज होने योग्य है।

3(2) अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब में बताया कि–

3(2)(i) इस कार्यवाही के संबंध में अधिनियम से प्रावधानित कोई सूचना अप्रार्थी सं. 2 को नही दी गयी। जिससे ऐसी तथाकथित कार्यवाही से अप्रार्थी सं. 2 के खिलाफ कोई मामला बनना नही पाया जाता है।

3(2)(ii) अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा पेकिंग करना बतायी जा रही उक्त माहेश्वरी ब्राण्ड चाय पती किसी भी प्रकार से मिथ्या छाप/मिस ब्राण्डेड नही है और ऐसी कोई रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गयी है। वो पूर्णतया गलत अनुचित व अवैधानिक हैं जो एकपक्षीय होने से अप्रार्थी सं. 2 के खिलाफ प्रयुक्त नही की जा सकती है।

3(2)(iii) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बतायी जा रही उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व इसके तहत बने नियमों व आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमाने गलत व अवैधानिक होने से इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

3(2)(iv) अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा पेकिंग करना बतायी जा रही माहेश्वरी ब्राण्ड की चाय पती के बाबत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
चाकसू

प्रार्थी के द्वारा यदि किसी प्रकार की नमूना लेने की कार्यवाही की जाती तो निश्चित रूप से इसके लिये लिखित में सूचना दी जाती और विधिवत रूप से नमूना लेने की कार्यवाही की जाती तथा मौके पर से ही स्थानीय व स्वतंत्र गवाहों को बुलाकर उनके सामने कार्यवाही की जाती परंतु हस्तगत प्रकरण में कोई नमूना लेने की कार्यवाही नही हुई। जिससे स्थानीय व स्वतंत्र गवाहान को बुलाया नही गया और न ही इसके लिये कोई प्रक्रिया की गई। जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4.1 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जिससे नमूना लेने की बतायी जा रही कार्यवाही विधिविरूद्व होने से खारिज होने योग्य है।

3(ब)(v) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4.4 के आज्ञापक प्रावधानों के तहत खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा उत्पाद को विनिर्माता, वितरक या प्रदायकर्ता से अभिप्राप्त करने की स्थिति में ऐसे विनिर्माता, वितरक और प्रदायकर्ता को भी एक सूचना दी जाना विहित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में आवेदक द्वारा लिये गये तथ्यों अनुसार अप्रार्थी सं. 2 की माहेश्वरी ब्राण्ड की चाय पत्ती का नमूना लिया जाना बताया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इसकी सूचना अप्रार्थी सं. 2 का दी जाना आज्ञापक था, परंतु ऐसी कोई सूचना नही दी गयी और न ही दी जाना बताया है। जिससे भी नमूना लेने की कार्यवाही इस आधार पर अवैधानिक है।

3(ब)(vi) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4.7 के आज्ञापक प्रावधानों में वस्तु का नमूना बोतल या मर्तबान या अन्य उपयुक्त आधानों में लिया जाना विहित किया है, परंतु आवेदक के आवेदन में शुष्क बोतल का होना ही अंकित नही किया है। जिससे भी संपूर्ण नमूना लेने की कार्यवाही इस आधार मात्र से ही अवैधानिक हो जाती है।

3(ब)(vii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4.9 के आज्ञापक प्रावधानों में बोतल के ऊपर ढके गये कागज को मजबूत सुतली या धागे द्वारा ऊपर से नीचे तक और आर पार बांधने तत्पश्चात सुतली या धागे को कागज की पर्ची पर सील करने की वेक्स द्वारा जकडने और उस पर प्रेषक की मुद्रा की सुभिन्न और स्पष्ट छाप होना विहित किया गया है। इसके अलावा एक छाप पेकेट के ऊपर व एक नीचे होने तथा दो अन्य छाप मुख्य भाग पर होने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सुतली या धागे की गांठो को सील करने की वेक्स से ढकने और प्रेषक की छाप होने का प्रावधान भी किया गया है। परंतु हस्तगत प्रकरण में ऐसे प्रावधानों की पालना नही की गई है।

3(ब)(viii) हस्तगत प्रकरण में जिस प्रकार से नमूना भेजा गया है। वो प्रक्रिया पूर्णतया नियम विरूद्व व अवैध है। इसके अलावा फार्म नं. 6 मे भी नमूना भेजने का कोई स्रोत का हवाला नही दिया गया है। जिससे स्पष्ट हो कि उक्त नमूना किस साधन द्वारा भेजा गया था। जिससे भी कार्यवाही इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

3(ब)(ix) खाद्य विश्लेषक जोधपुर की रिपोर्ट पूर्णतया एकपक्षीय, मनमानी व विभागीय मिलावट के आधार पर तैयार की गयी है। जिसका कोई विधिक महत्व नही है। द्वितीय में इस रिपोर्ट में चाय पती के लिये तय किय गये मानको यथा Total ash, Water soluble ash of the total ash, acid-insoluble ash, water extracts, crude fiber, mould rodent contamation living and dead insect, added coloring matter में से उक्त चाय अमानक स्तर की नही पायी गयी है तो ऐसी स्थिति में उक्त चाय मिथ्या छाप/मिसब्राण्डेड की होने का जो आरोप लगाकर कार्यवाही संस्थित की गई है वो पूर्णतया गलत अनुचित व अवैध होने से खारिज होने योग्य है।

3(ब)(x) आवेदक के द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन के आवेदन में यह कही पर भी खुलासा नही किया गया है कि उसके द्वारा लिये गये नमूना किस प्रकार मिसब्राण्डेड की श्रेणी में आता है। क्योकि उक्त आवेदन व दस्तावेजात से अभियुक्त सं. 1 के खिलाफ कोई मामला बनना नही पाया जाता है। बल्कि संपूर्ण कार्यवाही केवल मात्र मामले को बनाने के उद्देश्य से कार्यालय में बैठकर तैयार की गयी है। जिससे आवेदन खारिज होने योग्य है।

4. वकील अप्रार्थी की बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./410/एक्ट/2015/430 दिनांक 22-06-2015 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय पती (माहेश्वरी ब्राण्ड) का नमूना मिस ब्राण्ड पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध केश मीमो/विक्रय बिल दिनांक 20.5.15, फर्द रिपोर्ट दिनांक 20.5.15, मौके की कार्यवाही के दौरान लिये गये है। जिन पर अप्रार्थी सं. 1 के हस्ताक्षर है। जिससे नमूना अप्रार्थी सं. 1 के कारोबार स्थल से लिया जाना रिकार्ड से साबित है तथा उत्पाद के बेच नं., निर्माण व पेकिंग तिथी आदि अंकित नही किया जाना विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 22.6.15 से भी प्रकट होता है। उक्त लिया गया नमूना सं. क्यू–758 उम्मेदसिंह वार्ड बॉय के साथ Food Analyst जोधपुर को भिजवाना उनकी रसीद

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
चाकसू

दिनांक 21.5.15 से साबित है। एफएसएसए 2006 की धारा 26 (1) के अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता का यह कर्त्तव्य है कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार के अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती हो। जिसके तहत मिथ्या छाप वाली या अवमानक खाद्य पदार्थ स्वयं निर्माण, भण्डारण, विक्रय या वितरण नहीं करने अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं करवाये जाने को लेकर आज्ञापक प्रावधान है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप वाले खाद्य पदार्थ का वितरण/विक्रय किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा मिस ब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 रामेश्वर पर 40,000/– अक्षरे रूपये चालीस हजार तथा अप्रार्थी सं. 2 पंकज गटाणी पर 60,000/– अक्षरे रूपये साठ हजार कुल रू. 1,00,000/– अक्षरे रू. एक लाख शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

5. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर